संख्या-266/2017/1958/22-2-2016-17(104)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छब्बन पुत्र श्री कल्लन, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी छब्बन पुत्र श्री कल्लन, ग्राम मलकादिम सरायं, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 03-02-1979 को लगभग 03-00 बजे पुरानी रंजिश में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा से अमर सिंह उर्फ बाबू लाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-419/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, उन्नाव द्वारा दिनांक 31-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-07-20-2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2015 तक 14 वर्ष 03 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की ससंस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी द्वारा 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में बन्दूक, कट्टा से अमर सिंह की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-67 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छब्बन पुत्र श्री कल्लन, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छब्बन (बन्दी संख्या-16173) पुत्र श्री कल्लन, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-266/2017/1958/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-266/2017/1958@22-2-2016-17(104)/2013

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी छब्बन (बन्दी संख्या-16173) पुत्र श्री कल्लन, ग्राम-मलकादिम सरायं, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 03-02-1979 को लगभग 03-00 बजे पुरानी रंजिश में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा से अमर सिंह उर्फ बाबू लाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-419/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, उन्नाव द्वारा दिनांक 31-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-07-20-2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2015 तक 14 वर्ष 03 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की ससंस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी द्वारा 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में बन्दूक, कट्टा से अमर सिंह की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-67 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छब्बन पुत्र श्री कल्लन, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in